जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-26.05.2025**

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डांगरोल से युवक का अपहरण करने की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार किया गया, कब्जे से अवैध हथियार कारतूस व मोटरसाइकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.05.2025 श्री पवन कुमार पुत्र श्री पीतम निवासी ग्राम डांगरोल थाना कांधला जनपद शामली का पुत्र रवि अपने खेत में ईख खोदने गया हुआ था, तभी गाडी रजि सं0 यूपी 17 एए 2139 में बैठे कुछ व्यक्तियों द्वारा रवि का अपरहण कर लिया गया। आसपास काम कर रहे लोगों की सूचना पर थाना कांधला पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए ग्राम सुन्ना में गाडी की घेराबंदी की गई तो अपहरणकर्ता गाडी व रवि को जंगल में छोडकर भाग गये। घटना के सम्बन्ध में पीडित के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना के अनावरण हेतु 04 टीमों का गठन कर अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट/रंगदारी/अपहरण की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डांगरोल से युवक रवि का अपहरण करने की घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को ग्राम खन्द्रावली की तरफ बड़ी नहर के पास पुलिस मुठभेड में आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में घायल/गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा मय 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को बाद उपचार माननीय न्यायालय के समक्ष पेशकर जिला कारागार भेजा गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास की जा रहे है शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का उद्देश्यः- घटना में संलिप्त/गिरफ्तार अभियुक्त गुलाब सिह पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम सौरम गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ने बताया कि ग्राम् डांगरौल के रहने वाले विकास उर्फ मोनू पुत्र प्रदीप से मेरी दोस्ती है। विकास उर्फ मोनू के होटल की कुछ दिन बाद उद्धघाटन होना था। इसलिए मै करीब 4-5 दिन से ग्राम डागरौल मे विकास उर्फ मोनू के पास उसके घर पर रह रहा था। मोनू के गांव का एक लडका रवि पुत्र पवन इनके परिवार से दुश्मनी मानता है और आये दिन मोनू के परिजनों को परेशान करता है तथा धमकी देता रहता है। इस कारण दिनांक 21.05.2025 को मै ,विकास उर्फ मोनू, सुधीर पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम बिजरौल थाना कोतवाली जनपद बागपत तथा एक लडका और जो सुधीर के साथ आया हुआ था ,जिसका नाम पता मै नही जानता। हम चारो ने सुधीर की स्कारपियो कार मे बैठकर शराब पी तथा हम लोगो ने पता लगाया कि रवि इस समय कहा पर है जानकारी हुई कि रवि गांव डागरौल से बिजली घर की तरफ अपने खेत पर ईख खोदने के लिये जा रहा है, तो हम लोगो ने योजाना बनाकर एक राय होकर रवि को सुधीर की गाडी मे जबरदस्ती खिचकर बैठा लिया और उसको ठिकाने लगाने के उद्देश्य से उसके साथ मारपीट की । किसी तरह से पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी हो गयी और पुलिस हमारे पीछे लग गयी । पुलिस द्वारा हमारा पीछा करने पर पकडे

जाने के डर से हम लोग रवि को ग्राम सुन्ना के जंगल मे फैककर ग्राम डूगंर की तरफ गाडी लेकर भाग गये थे उसके बाद हम चारो लोग अलग अलग हो गये थे। आज अभियुक्त गुलाब बचने/छिपने के उद्देश्य से मोटरसाईकिल से शामली से खन्द्रावली की जा रहा था। कि पुलिस मुठभेड में अवैध तमंचा व कारतूस सहित घायल/गिरफ्तार किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.गुलाब पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम गोयला थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 237/25 धारा 140(1) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 246/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना कांधाल जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

2.मोटर साईकिल स्पलेन्डर बिना नम्बर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री क्षितिज कुमार सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री विक्रम सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 धीरेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

4.का0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

5.का0 कुशलपाल सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

6.का0 नितिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल, नगदी व अवैध चाकू बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 11.01.2025 को श्री महबूब अहमद पुत्र महमूद अहमद निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली अपनी मोटर साइकिल से कांधला बस स्टैंड से गंगेरू जा रहा था तभी रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बाइक रोककर रास्ते में पडने वाले नगर पालिका कांधला के पास तक छोडने के लिए अनुरोध किया था तथा मोटर साइकिल पर पीछे बैठे अज्ञात व्यक्ति ने जेब में रखी नगदी व मोबाइल फोन की चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 25.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कांधला के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को चोरी का मोबाइल, नगदी व अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.इमरान पुत्र नसीबू निवासी मौहल्ला मिर्दगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की गई धनराशि में से बचे 1160 रुपये।

2.चोरी किया हुआ मोबाइल ओप्पो कम्पनी एफ 27।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 पुष्पेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 नितिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 सुशील कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 19.05.2025 को थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम मे दिनांक 25.05.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.राहुल पुत्र पाल्ला निवासी टाब्बर थाना नकुल जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-236/2025 धारा 137(2)/64/87 बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिह चौकी प्रभारी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.उ0नि0 प्रमोद कुमार चौकी चौसाना थाना झिझाना जनपद शामली ।

3.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.हे0का0 मनोज कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 15 ग्राम स्मैक, इलेक्ट्रोनिक कांटा, मोबाइल फोन व नगदी बरामदः-

आज दिनांक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 15 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, मोबाइल फोन व 2900/- रुपये की नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फिरोज पुत्र अय्युब निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 15 ग्राम स्मैक।

2.एक इलेक्ट्रोनिक कांटा, मोबाइल फोन ऑप्पो।

3.नगदी 2900/- रुपये।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री दुर्गपाल थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4.का0 अरूण कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घिस्सूगढ़ में ट्यूबवैल/नलकूप से हुई चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान बेचकर प्राप्त नगदी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 30.04.2025 की रात्रि में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घिस्सूगढ़ में चोरो द्वारा टयूबवैल/नलकूपो से टयूबवैल स्टार्टर, केबिल तार चोरी की घटना कारित की गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के अधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कैराना पुलिस को घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चोरी/लूट की घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घिस्सूगढ में ट्यूबवैल/नलकूप चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया हुआ सामान बेचकर प्राप्त नगदी बरामद है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त तसव्वर उर्फ गोला व अहसान उर्फ आपुन को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इरफान पुत्र शफी निवासी ग्राम अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ सामान बेचकर प्राप्त 320 रुपये की नगदी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिरूद्ध कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 आबिद थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 निशान्त कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 27.04.2025 को नौशाद पुत्र जीजू निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली पर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर, गाली गलौच कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.इसरार पुत्र इलियास निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 सतीश प्रकाश थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 कुलवन्त थाना कैराना जनपद शामली।

4.है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 02 चाकू बरामदः-

आज दिनांक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से अवैध 02 चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.रिजवान पुत्र अशरफ निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

2.उमर पुत्र इलियास निवासी ग्राम रामड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 02 चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री इन्द्रसैन थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.है0का0 दुर्गेश शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 अंकुर निर्वाल थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.का0 पंकज कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लव्वादाउदपुर के जंगल में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 15.03.2025 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लव्वादाउदपुर के जंगल में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिले की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित की गयी थी।

इसी क्रम में दिनांक 17.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना झिंझाना व एसओजी शामली की संयुक्त कार्यवाही में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लव्वादाउदपुर के जंगल में हुई गौकशी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त गौ-तस्कर समीर पुत्र शहजाद निवासी मौहल्ला इलाही बक्स थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को बाद मुठभेड़ उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गो तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं गौ तस्करी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.05.2025 को गौ-तस्कर इकबाल पुत्र रशीद निवासी ग्राम बसी चुन्धियारी थाना झिंझाना जनपद शामली एवं दिनांक 15.05.2025 को गौ-तस्कर समीर पुत्र शहजाद निवासी मौहल्ला इलाही बक्स थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया जा चुका है।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को गौ तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं गौ तस्करी की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए गौ-तस्कर आलम पुत्र सगीर निवासी ग्राम बसी चुन्धियारी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

ज्ञात हो कि दिनांक 23.04.2025 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में कोतवाली शामली पुलिस को गौकशी की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्यवाही करते हुये घटना में लिप्त व्यक्तियों की पहचान कर अभियुक्तगण के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। उक्त घटना को लेकर आमजनमानस में काफी रोष व्याप्त था। इनके इस कृत्य के कारण लोक-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना थी।

दिनांक 23.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम एवं गौतस्करों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला काजीवाड़ा में हुयी गौकशी की घटना में लिप्त 01 गौ-तस्कर इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक, मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली को पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व कटान करने के उपकरण व मोटर साईकिल बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को उपरोक्त मामले में प्रभावी कार्यवाही करते हुए गौ-तस्कर इसाम उर्फ हिसाम पुत्र शमीम निवासी आजाद चौक, मौहल्ला काजीवाड़ा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध जिलाधिकारी शामली के आदेशानुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A) 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते गैंगस्टर के मामले में 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई गई 03 वर्ष 11 माह के कारावास की सजा एवं 6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2003 में अभियुक्त प्रमेन्द्र पुत्र राजपाल सिंह निवासी हाथी करोंदा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 140/2003 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को माननीय न्यायालय ADJ/FTC कैराना, शामली द्वारा गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में 3 वर्ष 11 माह का कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.भूरा उर्फ शहजान पुत्र शौकीन निवासी ग्राम आल्दी थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 नरेश सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 रविन्द्र तोमर थाना कांधला जनपद शामली

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली रोड स्थित किराना की दुकान पर सामान के रुपये लेने देने को लेकर हुए झगडे के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनाँक 11.05.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली रोड स्थित किराना की दुकान पर सामान के रुपये लेने देने को लेकर हुए झगडे में गाली गलौच, मारपीट व जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने घटना हुई थी। घटना के सम्बन्ध में सिद्धार्थ शर्मा पुत्र स्व0 संजय शर्मा की तहरीर के आधार पर 03 नामजद तथा अज्ञात के विरुद्ध थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम में आज दिनाँक 26.05.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली रोड स्थित किराना की दुकान पर सामान के रुपये लेने देने को लेकर हुए झगडे में गाली गलौच, मारपीट व जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं शीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.सावन कश्यप पुत्र मुकेश निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

2.बादल कश्यप पुत्र शौकीन निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।

2.है0का0 रविन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

3.है0का0 नरेश सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

कोतवाली कांधला
मो.9454404071
जनपद-शामली